न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 26/2018
RCMS Case No. 2018/00369

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 आदाराम पुत्र भबुतराम जाति जाट निवासी छितरिया तहसील सोजत जिला पाली		1 भंवरलाल पुत्र केसाराम जाति जाट निवासी छितरिया तहसील सोजत 2 तहसीलदार सोजत जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री महेन्द्र चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अनुपस्थित
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक 31/12/2018

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तत कर ग्राम छितरिया तहसील सोजत के नामान्तरकरण संख्या 26 पर नायब तहसीलदार सोजत द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 09.06.1981 को अपास्त कराने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस एकपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि अपीलाण्ट की पुश्तैनी भूमि है, जो अपीलाण्ट एवं उनके भाई केसाराम व घीसाराम के नाम दर्ज थी। अपीलाण्ट के भाई घीसाराम पुत्र भबुतराम लाऔलाद फौत हो चुका है एवं केसाराम का भी देहान्त हो चुका है। घीसाराम फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 26 दायर किया गया, जिसमें यह अंकित किया गया कि "फौतेदगी घीसा के होने से उनके संतान न होने से उनके भाई केसा व आदु के नाम नामान्तरकरण भरा गया।" जिसके आधार पर नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 11 में केसा, आदु पि0 भबूत 1/3 हिस्सा दर्ज करने के बाद उक्त नामान्तरकरण में परिवर्तन कर 1/3 के स्थान पर 2/3 हिस्सा दर्ज कर दिया एवं उक्त नामान्तरकरण में भंवरलाल पुत्र घीसाराम 1/3 हिस्सा अंकित कर दिया, जबकि भंवरलाल, घीसाराम का पुत्र ही नहीं है। वास्तविकता अनुसार जैर अपील विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर अपीलाण्ट काबिज है तथा शेष 1/2 हिस्से की भूमि पर अपीलाण्ट के भाई केसाराम के वारिशान काबित काश्त है। नामान्तरकरण में विधि विरूद्ध रूप से रेस्पोडेन्ट का नाम अपीलाण्ट के भाई घीसाराम के पुत्र के रूप में दर्ज कर दिया गया है, जबकि रेस्पोडेन्ट घीसाराम का कतई पुत्र नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा राजस्व रेकर्ड की प्रतियां प्राप्त करने पर उक्त त्रुटी की जानकारी हुई, जिस पर उन्होंने विधिक राय प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की है।

अति० जिला कलेक्टर, पाली

अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने के लिए परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जो स्वीकार करते हुए अपीलाण्ट की अपील अन्दर मियाद शुमार करवावे एवं अपील स्वीकार कराते हुए जैर अपील नामान्तरकरण पर नायब तहसीलदार सोजत द्वारा पारित स्वीकृति आदेश को अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश दिनांक 09.06.1981 को पारित किया गया है, जिसकी अपील इस न्यायालय के समक्ष वर्ष 2018 को प्रस्तुत की गई है, जो आदेश पारित होने के लगभग 38 वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत होने के पश्चात प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्टतया मियाद बाहर है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। जहां तक मियाद का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रकरणों में तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण की परिस्थितियों पर मियाद को अवधारित किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर0आर0टी0 2004 (2) पेज 698 में प्रतिपादित किया कि "पक्षकारों के अधिकार मेरिट पर निर्णीत करने चाहिये – तकनीकी आधारों पर पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिये।" अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात्, उभयपक्ष की दलीलों एवं प्रकरण में निहित न्याय के सारभूत प्रश्नों के विनिश्चय हेतु अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। तद्नुसार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाता है।

अब प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर देखा जाता है, तो जैर अपील नामान्तरकरण घीसा पुत्र भबुत फौत होने पर दायर किया गया है, जिसके कॉलम संख्या 14 में पटवारी हल्का द्वारा यह अंकित किया गया है कि "फौतेदगी घीसा के होने से उनके संतान न होने से उनके भाई केसा व आदु के नाम नामान्तरकरण भरा गया।" इसके कॉलम संख्या 16 में भू0अ0नि0 द्वारा यह अंकित किया कि भंवरलाल पुत्र घीसा का नाम दर्ज किया गया। उक्त नामान्तरकरण के प्रथम दृष्टया अवलोकन से यह प्रकट होता है कि नामान्तरकरण केसा, आदु पि0 भबूत के नाम दर्ज किया गया, जिसमें पृथक से भंवरलाल पुत्र घीसा 1/3 अंकित किया है। यदि घीसा के कोई जायन्दा सन्तान होती, तो पटवारी हल्का द्वारा घीसा के लाऔलाद फौत होने बाबत टिप्पणी ही अंकित नहीं की जाती। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा भंवरलाल के नाम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार नम्बर 420934631700 की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें भंवरलाल के वल्दियत केशाराम अंकित है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट भंवरलाल न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित ही नही हुआ है। प्रकरण में उल्लेखित तथ्यों एवं रेकर्ड के अनुशीलन के पश्चात ग्राम छितरिया तहसील सोजत के नामान्तरकरण संख्या 26 पर नायब तहसीलदार सोजत द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 09.06.1981 को अपास्त कर प्रकरण पुनः जांच कर विधिवत कार्यवाही हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अति० जिला कलक्टर, पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा ग्राम छितरिया तहसील सोजत के नामान्तरकरण संख्या 26 पर नायब तहसीलदार सोजत द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 09.06.1981 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार सोजत को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक घीसाराम के वारिशान के सम्बन्ध में जांच कर पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 31/12/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली